न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 95/2025

अनवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड़ भादरा तहसील भादरा।
2. सन्दीप सोनी पुत्र मुन्शीराम सोनी जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड़ भादरा तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. मुन्शीराम दतक पुत्र तिलोका राम जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड भादरा।
2. कविता कुमारी सोनी पुत्री मुन्शीराम पत्नी रमन कुमार सोनी जाति सुनार निवासी हाल खुई खेड़ा तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
3. मोनिका सोनी पुत्री मुन्शीराम पत्नी सौरभ सोनी जाति सुनार निवासी हाल वार्ड नं0 8 ट्रैक्टर मार्केट पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
4. एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. पी0एन0बी0 बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक मलसीसर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 446/390 के खसरा संख्या 288 की 4.4280 है0 बारानी तथा रोही मौजा डुंगराना जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 370/326 के खसरा संख्या 722/1 की 7.9040 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र तथा वादी संख्या 2 सन्दीप सोनी व प्रतिवादी संख्या 1 मुन्शीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 95/2025

अनवान :

1. सुभाष चन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड़ भादरा तहसील भादरा।
2. सन्दीप सोनी पुत्र मुन्शीराम सोनी जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड़ भादरा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. मुन्शीराम दतक पुत्र तिलोका राम जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड भादरा।
2. कविता कुमारी सोनी पुत्री मुन्शीराम पत्नी रमन कुमार सोनी जाति सुनार निवासी हाल खुई खेड़ा तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
3. मोनिका सोनी पुत्री मुन्शीराम पत्नी सौरभ सोनी जाति सुनार निवासी हाल वार्ड नं0 8 ट्रैक्टर मार्केट पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।
4. एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
5. पी0एन0बी0 बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबंधक मलसीसर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री विनोद शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

वकील श्री योगेश कुमार शर्मा: **प्रतिवादी संख्या 5**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

निर्णय **दिनांक : 26.08.2025**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2074—2077 खाता संख्या 446/390 के खसरा संख्या 288 की 4.4280 है0 बारानी तथा रोही मौजा डुंगराना जमाबंदी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 370/326 के खसरा संख्या 722/1 की 7.9040 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादभूमि वादीगण के दादा तिलोकाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी [illegible] प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति स राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य कर[illegible] गया।

साक्ष्य वादी में सुभाष चन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति सुनार निवासी कलाना हाल वार्ड नं0 21 कुटिया रोड़ भादरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

रोही मौजा कलाना खाता संख्या 446/390 संवत 2074–2077 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा डूंगराना खाता संख्या 370/326 संवत 2075–2078 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा कलाना संवत 2019 खाता संख्या 288 प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत 2019 खसरा संख्या 722/724 प्रदर्श 4, शपथ पत्र वारीस बाबत सन्दीप प्रदर्श 5, सदस्य प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद वार्ड नं0 21 भादरा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कलाना तथा ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 446/390 के खसरा संख्या 288 की 4.4280 है0 बारानी तथा रोही मौजा डुंगराना जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 370/326 के खसरा संख्या 722/1 की 7.9040 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम अकेले की बजाय वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर आंशिक स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 446/390 के खसरा संख्या 288 की 4.4280 है0 बारानी तथा रोही मौजा डुंगराना जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 370/326 के खसरा संख्या 722/1 की 7.9040 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 मुन्शीराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 सुभाष चन्द्र तथा वादी संख्या 2 सन्दीप सोनी व प्रतिवादी संख्या 1 मुन्शीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner